

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई  
निविदा सूचना

क्रमांक/लोक.वि./जोन-1/262

भिलाई, दिनांक 25/06/22

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग में ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 एवं सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू एवं अद्यतन सशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नांकित कार्य दिनांक 16.06.2022 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 17.06.2022 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 08.06.2022 को सायं 5.30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	वार्ड-05 रैन्ने आवास बाम्बे आवास एवं अटल आवास में सीवर लाईन बिछाने का कार्य।	10.00	7500.00	750.00	120 दिन	द एच प्रवर
2	वार्ड-11 मुकूम खदान में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	6.99	7000.00	750.00	90 दिन	द एच प्रवर
3	वार्ड-11 मुकूम खदान में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	6.98	7000.00	750.00	90 दिन	द एच प्रवर
4	वार्ड-01 शाकराचार्य कॉलेज रोड के निकट सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	90 दिन	द एच प्रवर
5	जोन-1 अंतर्गत नेहरू नगर पूर्व में सम्पवेल निर्माण कार्य।	3.71	4000.00	750.00	90 दिन	द एच प्रवर

नियम एवं शर्तें- 1. सफल निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पैड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेगे। 3. घरोहर राशि कार्यपालन अभियान / जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, पेनकार्ड, आपकर, जीवित बैंक सालवैसी प्रमाण, GST पंजीयन पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1 % राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु शक्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्ट्रीटों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जावेगी। 7. ठेकेदार द्वारा निविदा में अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दर प्रस्तुत करें नहीं किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त किया जावेगा। 8. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अपर की राशि एक डी.आर. के रूप में निविदा के पूर्व जमा करना होगा। 9. शासन के निर्देशानुसार भूमिको से संबंधित कार्य हेतु भूमिको का पी.एच. कटौती किया जाना है तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में भ्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दलों के अनुसूच्य प्रतिभाह राशि जमा किया जाना है। 10. प्रस्तुत दरतावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, कारती सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। 12. प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक घरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्यवाही नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्मिलित रहेगा। 14. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी प्रत्येक कार्य के लिए राशि रु. 100.00 स्टाम्प एफिडेविट संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15. किसी भी विचार स्थिति में आयुक्त/जोन आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई नेहरू नगर जोन-01, नगर निगम भिलाई की वेबसाईट [www.bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) अथवा संचालनालय की वेबसाईट [www.und.cg.gov.in](http://www.und.cg.gov.in) एवं सीपा की वेबसाईट [cproc.cgstate.gov.in](http://cproc.cgstate.gov.in) से देखी जा सकती है।

जोय आहुता  
जोन-01  
नगर पालिक निगम,  
भिलाई